

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ग)पदोन्नति/ अलेसे- II/2010

दिनांक: 05.09.2018

आदेश संख्या: 70/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों एवं पूर्व वर्षों के आस्थगित प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.09.2018 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक कनिष्ठ लेखाकार, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद की वेतन शृंखला (पी.बी.-2) 9300-34800, ग्रेड-पे रुपये 3600/- (दिनांक 01.07.13 से 4200/-) में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिक नम्बर	मेरिट संख्या	नाम (सर्वश्री)	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ष	विवरण
1	9024	277/88	प्रकाश शर्मा		02.04.65	2013-14	इनकी वरिष्ठता श्री देवकीनन्दन गुप्ता एवं श्री कमलचन्द जैन के मध्य रहेगी।
2	5682	604/88	शाहदत अली		15.03.60	2013-14	इनकी वरिष्ठता श्री भंवर लाल पालीवाल एवं श्री गोपाल प्रसाद के मध्य रहेगी।
3	2204	504/90	रामावतार शर्मा		09.05.62	2013-14	इनकी वरिष्ठता श्री नरसिंह देव शर्मा एवं श्री बद्रीदास ओझा के मध्य रहेगी।
4	2279	244/92	राजेन्द्र सिद्धावत		16.08.69	2014-15	इनकी वरिष्ठता श्री अशोक कुमार देवडा एवं श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल के मध्य रहेगी।
5	2695	204/94	कमलेश कुमार मिश्रा		12.04.71	2014-15	इनकी वरिष्ठता श्री गिरधारी लाल सैनी एवं श्री सुरेश कुमार यादव के मध्य रहेगी।

सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं स्वै. सेवानिवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II) क्रमोन्नत / क्रमावनत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। पदोन्नत कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) उपरोक्तानुसार रहेगी तथा पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

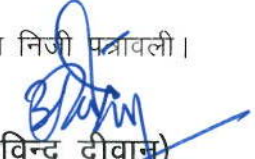

(मेजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ग)पदोन्नति/ अलेसे- II/2010

दिनांक: 05.09.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
7. अलेसे-III/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)